न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 188 / 2022

युनियन बैंक ऑफ इण्डिया टोडी, उदयपुरवाटी, राजस्थान।

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स शंकर बीज भण्डार जरिये प्रोपराईटर श्रीमती किताब देवी पत्नि श्री शंकर लाल सैनी, पता चनवारा रोड, धर्मकांटा के पास, गुढागौडजी, टोडी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं 333022
2. श्रीमती किताब देवी पत्नि श्री शंकर लाल सैनी, पता बालाजी आई0टी0आई0 कालेज के पास, चिन्ताहरण बालाजी, गुढागौडजी, टोडी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं 333022
3. श्री शंकर लाल सैनी पुत्र श्रीगणपत राम सैनी, पता बालाजी आई0टी0आई0 कालेज के पास, चिन्ताहरण बालाजी, गुढागौडजी, टोडी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं 333022

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्यूरिटाइजेशन एक्ट 2022 (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरा और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से बैंक सिक्यूरिटी एवं सिक्योरिटी से संबंधित दस्तावेज का कब्जा लेकर बैंक को सुपर्द कराने के बाबत।

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0) — प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 04.07.2022

प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने ऋणी मैसर्स शंकर बीज भण्डार जरिये प्रोपराईटर श्रीमती किताब देवी पत्नि श्री शंकर लाल सैनी, पता चनवारा रोड, धर्मकांटा के पास, गुढागौडजी, टोडी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं 333022 को दिनांक 08.11.2016 को रूपये 9,25,000/— की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। उक्त ऋण राशि निम्न प्रतिभूति से रक्षित है बंधक सम्पत्ति आवासीय भूमि के सभी भाग व हिस्से खसरा नं0 1225 / 422, बालाजी आई0टी0आई0 कालेज के पास, चिन्ताहरण बालाजी, गुढागौडजी, टोडी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं 333022 (क्षेत्रफल 296 वर्ग मीटर) स्वामित्व श्रीमती किताब देवी पत्नि श्री शंकर लाल सैनी ने करार कर ऋण की अदायगी हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किए थे। ऋण एवं ब्याज एवं अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋणी द्वारा ब्याज एवं ऋण को चुकाने मे असफल रहने पर उनका खाता दिनांक 28.01.2022 को **NPA** (एन0पी0ए0) वर्गीकृत [illegible] बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 22.02.2022 को मांग नोटिस सिक्यूरिटाइजेशन [illegible] 20[illegible] (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की [illegible] 13 (2) के अन्तर्गत दिया था जिसमे 60 दिवस मे 9,04,767.24 रूपये एवं दि[illegible] की मांग की थी। [illegible] / जमानतदार 60 दिवस मे उल्लेखित राशि अदा करने [illegible] को उक्त बकाया रा[illegible] ब्याज व खर्चे अतिरिक्त) ऋणी / जमानदार से वसूल करना है। बकाया राशि को वसूल करने हेतु प्र[illegible] का भौतिक कब्जा लेकर विक्रय करना है। श्रीमान् को सिक्यूरिटाइजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति सम्पत्ति को कब्जे या नियन्त्रण मे लेकर बैंक को सुपुर्द करने के अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:37 IST
Reason: SelfAttested

कर निवेदन है कि सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाने की कृपा करे जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 9,04,767.24 रूपये एवं दिनांक 28.01.2020 के बाद का ब्याज व बकाया राशि की वसूली, सम्पत्ति को विक्रय करके की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई श्रीमती किताब देवी पत्नि श्री शंकर लाल सैनी के मालिकाना हक की बंधक सम्पत्ति आवासीय भूमि के सभी भाग व हिस्से खसरा नं0 1225/422, बालाजी आई0टी0आई0 कालेज के पास, चिन्ताहरण बालाजी, गुढागौडजी, टोडी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं 333022 मे स्थित है जिसका क्षेत्रफल 296 वर्ग मीटर है का पजेशन प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को लिखवाया जा[illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:37 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं